संख्या–3758 / 26–3–2010–10(28) / 99–टी0सी0

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ :दिनांक 29 अक्टूबर, 2010

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में अनुदान संख्या–80 में आयोजनेतर पक्ष की योजना " विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना) हेतु किये गये बजट प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1317 / स0क0 / शिक्षा / 2010–11, दिनांक 17–6–2010 तथा पत्रांक–2607 / स0क0 / शिक्षा / प्रा0पा0 / 2010–11, दिनांक 11–10–2010 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–1417(3) / 26–3–2010–10(28) / 99, दिनांक 26–4–2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि उक्त योजनान्तर्गत चालू कार्यकमों पर व्यय किये जाने हेतु निम्नवत् विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 20.00करोड़(रूपये बीस करोड़ मात्र) अवमुक्त / स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुदान संख्या–80 आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रूपयों में)

लेखाशीर्षक / योजना / मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि 2010–2011
राजस्व लेखा 2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनेतर 01– अनुसूचित जातियों का कल्याण– 277– शिक्षा– 07– विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार–(जिला योजना) 43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान–	200000
योग–	200000

(रूपये बीस करोड़ मात्र)

(1) वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1– 951 / दस– 2010–231 / 2010, दिनांक 26–3–2010 में दिये गये दिशा निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइन्सेसियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा–88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा एवं स्वीकृत / अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(2) अनुदान एवं भारित विनियोगों के अंतर्गत होने वाले संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए

प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(3) विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर उपलब्ध हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुर्नर्विनियोग न किया जाये।

(5) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0–13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(6) पूर्व वर्षो में स्वीकृत धनराशियां यदि अभी भी पी0एल0ए0/बैंक खातों एवं पोस्ट आफिसों में जमा है तो उनका उपयोग सुनिश्चित करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत/प्राप्त होने पर ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किया जाये।

(7) अनुसूचित जाति की अनुदानित प्राइमरी पाठशालाओं के अनुमोदित अध्यापकों को वेतन/अवशेष वेतन की धनराशि उक्तानुसार स्वीकृत एवं तैनात अध्यापकों के सापेक्ष ही आगणित कर पाठशालावार एवं जनपद वार प्रेषित की जायेगीं।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–ई–3–1934/दस–2010, दिनांक 25 अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–3758(1)/26–3–2010 तददिनांकः

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं संबंधित कोषाधिकारी।
4. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2।
5. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव

राकेश जी0ओ0